



Rel. No. 2M/R/...../23

Date 12/4/23

अधिसूचना

संबंधता समिति की दिनांक 23.02.2023 को सम्पन्न 58वीं बैठक में की गई अनुमति एवं तदुपरांत अनिवार्य की दिनांक 03.03.2023 को सम्पन्न 80वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक- 10/नर्सिंग-10-08/12-184 (10)/स्वा0 दिनांक 14.09.2012 एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं- No. V.12017/64/2005-DE दिनांक 31.01.2014 को देखते हुए Awadh Dental College & Hospital, Jamshedpur को निम्न अकादमिक वर्ष, पाठ्यक्रम एवं सीटों हेतु महाविद्यालय को शर्ताधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	सीट	अकादमिक वर्ष	अभियुक्ति
1	MDS		2023-26	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
	• Oral & Maxillofacial Surgery	05		
	• Conservative Dentistry and Endodontics	05		
	• Pedodontics and Preventive Dentistry	05		
	• Periodontology	05		
	• Orthodontics & Dentofacial Orthopedics	05		
	• Prosthodontics & Crown & Bridge	05		
	• Oral Pathology & Microbiology	05		

शर्तें:-

1. Each MDS student shall take part actively in learning and teaching activities in each specialty, such as Lectures, Journal review, Seminars, Symposium, Clinical Postings, teaching skills, Conferences/ Workshops, Thesis dissertation etc.
2. Log books are to be maintained by student's everyday duly signed by teachers at least once in a week.
3. CCTV Camera may be installed in OTs which will be displayed outside the OTs for the improvement of knowledge of the MDS students.
4. Regular attendance of the Teachers may be promoted for the benefit of organization as well as students. Students' attendance need to be verified for efficient completion of the courses.
5. NAAC Accreditation may pleased be done on urgent basis.

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, Awadh Dental College & Hospital, Jamshedpur.
2. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (दंत चिकित्सा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. कुलपति/प्रति कुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
5. उप कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक/छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
7. संचिका में।

कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा